

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 9

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाानुसार नगरपालिक निगमों को अनुदान हेतु ` 1706.04 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 17,06,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

नगरपालिक निगम क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर ` 5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाानुसार नगर पालिकाओं को अनुदान हेतु ` 364.93 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,64,93,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

नगरपालिका क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर ` 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगर पंचायतों को अनुदान हेतु ` 1179.71 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 11,79,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

नगर पंचायत क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर ` 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3604**मद क्रमांक 15**

नगरपालिक निगम क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु ` 952.60 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 9,52,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16

नगरपालिक निगम क्षेत्रों में एफ.एल. 2/3 लायसेंस फीस की राशि से अनुदान हेतु ` 285.25 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,85,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17

नगरपालिक निगमों को प्रवेश कर (चुंगी क्षतिपूर्ति) से प्राप्त आगम के बराबर अनुदान हेतु ` 2000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 18

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त आय से स्थानीय निकायों को अनुदान मद में नगरपालिक निगमों को अनुदान हेतु ` 810.14 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 8,10,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 19

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार मनोरंजन कर से प्राप्त आय से स्थानीय निकायों को अनुदान मद में नगरपालिक निगमों को अनुदान हेतु ` 227.32 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,27,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद क्रमांक 20

नगरपालिका क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु ` 159.28 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,59,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 21

नगरपालिकाओं को प्रवेश कर (चुंगी क्षतिपूर्ति) से प्राप्त आगम के बराबर अनुदान हेतु ` 1493.51 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 14,93,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 22

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त आय से स्थानीय निकायों को अनुदान मद में नगरपालिकाओं को अनुदान हेतु ` 256.54 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,56,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद क्रमांक 23

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार मनोरंजन कर से प्राप्त आय से स्थानीय निकायों को अनुदान मद में नगरपालिकाओं को अनुदान हेतु ` 52.43 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 52,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 24

नगर पंचायत क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु ` 72.12 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 72,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 25

नगर पंचायत क्षेत्रों में एफ.एल. 2/3 लायसेंस फीस की राशि से अनुदान हेतु ` 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 26

नगर पंचायतों को प्रवेश कर (चुंगी क्षतिपूर्ति) से प्राप्त आगम के बराबर अनुदान हेतु ` 3991.79 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 39,91,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 27

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त आय से स्थानीय निकायों को अनुदान मद में नगर पंचायतों को अनुदान हेतु ` 283.56 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,83,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।